



जयपुर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तथा शैक्षणिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि कातुलनात्मक अध्ययन

प्रभु दयाल रैगर
रिसर्च स्कॉलर
भूगोल विभाग
सग्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राज.)

डॉ. सुनिता पचौरी
एसोसियट प्राफेसर
(रिसर्च गाइड)
भूगोल विभाग
सग्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राज.)

सारांश:-

भारत के आजाद होने से पूर्व तथा आजादी के बाद भी समाज का एक वर्ग जो सामाजिक सरोकार से पृथक कर दियागया था या स्वयं अभाव ग्रस्त होने के कारण अन्य - वर्गों या जातियों से अलग हो गया था।

इस समाज के उत्थान हेतु विभिन्न समाज सुधारका, धर्मगुरुओं, शिक्षकविदो तथा समाजशास्त्रियों और सरकारी तथा गैर- सरकारी -तंत्र ने अपने-अपने स्तर से समाज में व्याप्त बुराईयों, कुरितियों, कु-प्रथाओं तथा निर्धनता को नष्ट करने हेतु अपने तरीको से कालक्रमानुसार प्रयास किया है।

इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक , शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना ही शोध-कार्य का मूल उद्देश्य है।

साक्षरता मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता का एक सूचकांक है। कम साक्षरता से आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास में रुकावट आती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 73 प्रतिशत लोग साक्षर थे। यद्यपि यह प्रतिशत 1901 की साक्षरता का 14 गुणा एवं 1951 का 4 गुणा है परन्तु देश की जनसंख्या के वृहद आकार के कारण विश्व में सर्वाधिक निरक्षरों की संख्या भारत में पाई जाती है। ये देश के परम्परावादी, जनजातिय और अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले पिछड़े क्षेत्रों में पाई जाती है।



अनुसूचित जातियां हिन्दू समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हीन जाति समूह को प्रदर्शित करती है, इनमें अधिकांश श्रमिक, छोटे किसान और दस्तकार हैं। इनके भौगोलिक वितरण से देश में गरीबी के प्रादेशिक परिमाण का अंदाज लगाया जा सकता है। अनुसूचित जातियां एक विषम जातिय समूह है, इसमें 542 जातियां शामिल है। भारत में स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 10.47 करोड़ और वर्ष 2011 में 20.14 करोड़ (जो कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत) हो गई है।

इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में इनकी जनसंख्या में तीन गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई है। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में (4.1 करोड़) कुल जनसंख्या का 20.54 प्रतिशत भाग निवास करती है तथा राजस्थान में अनुसूचित जातियों की 1.2 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8 प्रतिशत भाग है।

शब्द कुंजी -महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अस्पृश्यता, मूल्यांकन, मानव विकास, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति नारी प्रगति।

परिकल्पनाएः-

किसी भी शोध- कार्य को परिसीमन करने के लिए इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिकल्पनाओं का निर्माण करना अति आवश्यक है। परिकल्पना से तात्पर्य किसी शोध-कार्य क्षेत्र की वस्तु स्थिति के बारे में पूर्व अनुमान, कल्पना, विचार तथा निष्कर्ष का अनुमान लगाना सामान्यीकरण एवं अमूर्त विचार करके शोध- कार्य की - सत्यता तक पहुँचाने की विचारधारा है। इसी आधार पर सूचनाओं का संकलन करके उचित निष्कर्ष, उद्देश्य की ओर गति करना ही परिकल्पना कहलाती है।



प्रो. यंग के अनुसार:-

यह एक कार्यवाहक विचारधारा जिसका उपयोग वास्तविक खोज या शोध- कार्य के लिए किया जाता है। अतः परिकल्पनाए अनुसंधानकर्ता को उसके शोध-मार्ग से इधर एवं उधर भटकने की बजाय सही राह या दिशा दिखाकर आगे बढ़ना सहयोगी सिद्ध होती है।

शोधकर्ता शोध की प्रकृति के आधार पर परिकल्पनाओं को पूर्व अनुमान के आधार निर्मित कर लेता है तथा जिनका शोध- कार्य के दौरान परीक्षण करता है। **पूर्वानुमान सत्य भी हो सकते हैं** तथा असत्य भी हो सकते हैं, यदि अनुमान सत्य सिद्ध होते हैं तो यही परिकल्पनाए, सिद्धान्त का रूप लेती है। **परिकल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं -**

- (1) सांख्यिकीय
- (2) शून्य परिकल्पना।

शोध प्रविधियाँ एवं अध्ययन तकनीकी

शोध विषय के चयन और शोध - समस्या तथा शोध - निष्कर्ष एवं मूल्यांकन आदि में शोध- प्रविधियाँ एवं अध्ययन तकनीकी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।

प्रस्तूत शोध-कार्य की प्रमाणिकता, सत्यता एवं यथार्थ तक पहुँचने हेतु शोध- कार्य में विभिन्न शोध- प्रविधियाँ तथा अध्ययन तकनीकीओं का प्रयोग बड़े ही सूझ-बूझ से किया गया है। सामाजिक एवं भौगोलिक तथा सांस्कृति, आर्थिक एवं राजनैनिक तथ्यों के संग्रहण का प्रमुख आधार है। प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों के संग्रहण के आधार पर आंकड़ों का संग्रहण करना है।

(1) प्राथमिक तथ्य / आंकड़ो संकलन स्रोत :-

इस स्रोत के माध्यम से शोध कार्य में मौलिक, वास्तविक तथ्यों का संकलन किया गया है।



शोध-कार्य में शोधकर्ता स्वयं शोध-क्षेत्र मे जाकर वहां निवास करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं से मिलकर, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा अवलोकन प्रविधियों के माध्यम से मूल - आंकड़े प्राप्त किया।

(2) द्वितीय तथ्य /आंकड़ो संकलन स्रोत:-

इस प्रकार के आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं के माध्यम से सीधा न प्राप्त करके—अपितु अन्य माध्यम के द्वारा तथ्य संकलित करता है। या सूचनाओं को एकत्रित करता है।

इस प्रकार के आंकड़ो को द्वितीय आंकड़ो या तथ्यों को प्राप्त करने हेतु जयपुर जिले में अनुसूचित जाति की महिला सशक्तिकरण का अध्ययन एवं मूल्यांकन विषय से सम्बधित विभिन्न प्रकाशित एवं प्रलेख, तथा पत्र-पत्रिकाओं, डायरियों सरकारी एवं गैर- सरकारी महिला सशक्तिकरण विभागों से आकड़े प्राप्त किये गये हैं।

पंचायती राज विभाग जयपुर, महिला एवं बाल-विकास विभाग जयपुर, अनुसूचित जाति आयोग, महिला सशक्तिकरण विभाग तथा दलितों उत्थान संस्थान आदि से आंकड़े प्राप्त किया गया है।

द्वितीय तथ्यों के संकलन के लिए शोध कर्ता ने ग्राम - पंचायत स्तर , तहसील स्तर , पटवार-कार्यालय एवं महिला विकास अधिकारी तथा आंगनबाड़ी केन्द्र से भी आंकड़े प्राप्त किये गये हैं।

जयपुर जिले मे अनुसूचित जाति की महिलाओं की दशा एवं दिशा का तुलनात्मक अध्ययन सामाजिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि :-

अनुसंधान का महत्वपूर्ण बिन्दु अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। सामाजिक अनुसंधान इस मान्यता पर आधारित है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज मे अनेक जाति एवं



वर्ग-विशेष में रहता है। वर्ग-विशेष मे मनुष्य की दशाएँ उसकी जीवन-शैली, आकांक्षा एवं जीवन से संबंधित विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय परिक्षेत्र मे रहने वाले उच्च तथा मध्यम और निम्न-वर्ग की जीवन शैली एक दूसरे से भिन्न होती है।

फिर चाहिए वैदिक काल हो या उत्तर-वैदिक-काल तथा मध्यकाल हो या फिर वर्तमान काल इन सभी कालों में महिलाओं का स्थान द्वितीय अर्थात् भारतीय समाज-व्यवस्था में एक तरफ भेदभाव, असमानता, जातिवाद, धर्मवाद तथा ऊँच-नीच, अमीर-गरीब जैसी असमानता पायी जाती है, तो वही दूसरी ओर पुरुष एवं महिला भेदभाव, लिंग भेदभाव जैसी असमानता या विषमता देखी जाती है।

वर्तमान भारतीय समाज मे असमानता व शोषण की घटनाएँ प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। लैंगिक आधार हो या जातिगत आधार दोनों प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। विभिन्न रूपों मे दिखाई देती है, आज नारी-वर्ग पर बहुत-सी पाबंदियाँ, पर्दाप्रथा तथा महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दिखाई देती है।

जहाँ एक ओर उच्च जातियों के सत्री एवं पुरुषों को उच्च-पद, मान-प्रतिष्ठा तथा आवास प्राप्त हुआ है, तो दूसरी ओर निम्न जातियों की सत्री एवं पुरुषों को हमेशा तिरस्कार ही प्राप्त हुआ है। आज राजस्थान के जयपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की बहुत ही खराब स्थिति दिखाई देती है। यह महिला दिन-भर मेहनत मजदूरी करती है तथा रात को पति की डॉट-फटकार सुनती है तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुपोषित रहती है, लेकिन शहर मे अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा सुदृढ़ पायी जाती है।

सामान्यतः समाज-व्यवस्था में विशेष रूप से उच्च-जाति के लोगो का भूमि एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर स्वामित्व रखने वाला वर्ग रहा है, जब ठीक इसके विपरीत निम्न जातियाँ आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पंगु पाया जाती है।



इसी व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति-वर्ग सामाजिक दृष्टि से कमजोर पाये जाते हैं, यह समाज भारतीय समाज की विकास की सीमा की अन्तिम पायदान पर स्थिति है। जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय पायी जाती है। अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं पर आज वर्तमान दौर में सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभाव कम दिखाई देता है।

सामाजिक सशक्तिकरण एवं बाधाएँ :-

अनुसूचित जाति समुदाय की अधिकांश महिलाएँ आज मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती हैं। सर्वे से पता चला है, कि शाहपुरा, आमेर, फागी, चाकसू, सांभर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ अपने पति के साथ मजदूरी का कार्य करती हैं। जिसमें विशेष रूप से पेशगारी या मकान-निर्माण कार्य तथा इंट भट्टा, सड़क-निर्माण कार्य, उद्योगों में मजदूरी का कार्य करती हैं।

कुछ महिलाएँ सामाजिक दृष्टि से मजबूत हैं। जैसे - स्वयं निर्णय लेकर अपना परिवार चलाती है। ग्रामीण एवं शहर में अनुसूचित जाति की कुछैक महिलाएँ साक्षर होने के कारण रुढ़ीवादी, पाखण्डवाद से दूर होकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। अन्धविश्वास के मकड़-जाल से कुछ हटकर आधुनिक विचारधारा से जुड़कर विकास की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।

आर्थिक सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि :-

अनुसूचित जाति समुदाय की महिला की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इस समुदाय की अधिकांश महिलाएँ मजदूरी का कार्य करती हैं। और अपना जीवन गुजारती है। इस समाज की माली हालात या दयनीय है। यह समुदाय भूमिहीन है। अतः निवास हेतु कई परिवारों के पास दो गज जमीन भी उपलब्ध नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोरी का कारण उच्च-वर्गों या सर्वर्ण-वर्गों के द्वारा मानसिक रूप से निर्धारित की गई आर्थिक निर्योग्यताएँ हैं।



यदि अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ या पुरुषों के द्वारा किसी स्थान-विशेष पर कोई कारोबार या दुकान या जीवन गुजारने के लिए यदि कुछ कार्य भी करते हैं, तो जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास या ओछी मानसिकता के कारण उच्च-वर्ग विशेष के व्यक्ति उपक्रम नहीं खोलने देते हैं। यदि खोल भी लेते हैं, तो जातिवाद के कारण बिक्री नहीं होती है। तथा बंद हो जाती है, लेकिन आज वर्तमान में धीरे-धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है तथा अनुसूचित जाति के समुदाय में सरकार या विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसी के द्वारा इनमें जागरूकता लाने हेतु के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण आज यह समाज तरकी की ओर अग्रसित हो रहा है।

आज वर्तमान समय में गाँवों में शहरों की अपेक्षा आर्थिक स्थिति कमजोर पायी जाती है, क्योंकि गाँवों में अनुसूचित जाति समुदाय के परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक पायी जाती है। सर्वे से पता चला है, कि गाँवों में यह समुदाय अपना जीवन-यापन करने के लिए दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहा है। विशेष रूप से बावरिया, कंजर, सांसी नट, कालबेलिया तथा रैगर, बलाई, मदारी, बाजीगर के पैतृक-पेशे को आधुनिक मशीनरी-युग ने छिन लिया है। अतः अन्य-वर्गों की बेगारी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस समाज में विशेष रूप से मदिरा-सेवन तथा तम्बाकू पीने की लत पायी जाती है। जिसमें महिलाएँ भी लिप्त होती हैं।

अतः फिर महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो सकता है। सर्वे से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं में मदिरा-पान, तम्बाकू-पान तथा अन्धविश्वास की आदते जकड़ रखी हैं, तो दूसरी ओर नगरीय जीवन शैली की कामकाजी महिलाएँ पारिवारिक समस्याओं में उलझकर बदलहाली के दौर से अपना जीवन-यापन कर रही हैं। नगरीय सभ्यता में कार्यरत महिलाओं को उनके परिवार से कम ही सहयोग मिलता है। यह कामकाजी महिलाएँ कार्यालय



या कारखानों में कार्य करके घर पर भी परिवार के सदस्यों के लिए काम करती रहती है तथा कुपोषण का शिकार होती रहती है।

अनुसूचित जाति समुदाय में संयुक्त परिवार संस्था का विखण्डन होकर धीरे-धीरे एकांकी परिवार संस्था में परिवर्तित हो रहा है। जिससे इस समुदाय की महिलाओं एवं बच्चों का लालन-पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तथा शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सर्वे से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि अचरोल तथा मनोहरपुर, मानपुरा, लखेर, कुण्डा, लबाना, ढ़ण्ड गाँवों में अधिकांश विधवा महिलाएँ अपने परिवार के लालन-पालन हेतु मजदूरी-कार्य के लिए किसी कारखाने या कार्यालय, गार्डन या गली-मौहल्ले में साफ-सफाई के लिए जाती हैं। वहाँ अपने छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाती हैं जिससे बच्चों का शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता है। यह स्थिति शहरों की अपेक्षा गाँवों में अधिकांश पाई जाती है।

आर्थिक सशक्तिकरण एवं बांधाएँ :-

अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ पारिवारिक आय पर निर्भरता रहती हैं। सर्वे के दौरान प्राप्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है, कि इस समुदाय की महिलाएँ प्राथमिक कार्यों में ही संलग्न हैं। जिसके कारण इनका जीवन विकट परिस्थितियों में गुजरता है। अल्प आय प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण आय का हिस्सा रोजमर्रा में खर्च हो जाते हैं। इसलिए इनको पति, सास, ससुर की जायदाद या आय पर निर्भर रहना पड़ता है।

अधिकांश महिलाएँ घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं तथा बाहर नौकरी करने वाली महिलाएँ सर्वे में कम ही प्राप्त हुई हैं। यदि इस समुदाय की महिलाएँ अपना व्यवसाय या अपनी स्वयं की दुकान या नौकरी जैसे कार्यों में संलग्न होती हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होती तथा इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ स्वयं तथा अपनें बच्चों एवं बच्चियों को सही ढंग की शिक्षा तथा अच्छा भोजन खिलाती हैं। आज बावरिया, नट, कंजर, सांसी, रैगर,



कालबेलिया समाज की महिलाएँ आर्थिक रूप से सबल नहीं होने के कारण कुपोषण की शिकार हो रही है। अधिकांश महिलाएँ पति की आय पर अपना जीवन गुजारती है। यदि पति आर्थिक रूप से सबल नहीं है, तो महिला भी आर्थिक रूप से निर्बल होती है। फिर भला आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा। अतः अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में पति के द्वारा किये जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के अनुसार कार्य करती है। इस समुदाय की महिलाएँ पशुओं की देखभाल तथा खेती के कार्यों में श्रमिक एवं वाल्मीकि, भंगी, मेहत्तर, समाज की महिलाएँ साफ सफाई, कूड़ा-करकट उठाने के कार्यों में संलग्न पायी गई हैं।

राजनीति सशक्तिकरण :-

किसी भी समाज का राजनैतिक वजूद होना आवश्यक है। क्योंकि सर्वसमाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके अपने तथा अन्य के योगदान देने हेतु अवसर सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की भागीदारी कम ही पायी जाती है। यह कारण है क्षेत्रवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, भाई-भतीजावाद आदि। आजादी से पूर्व अनुसूचित जाति समुदाय की राजनैतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन विभिन्न समाज सेवकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान युग में संवैधानिक अधिकारों के परिणाम स्वरूप स्थिति में सुधार आया है।

गाँवों में निरक्षरता अंधविश्वास तथा ऊँच-नीच की धारणा के कारण अनुसूचित जाति के स्त्री एवं पुरुषों को नफरत आदि की निगाहों से देखते हैं। तथा राजनैतिक प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ने हेतु टिकट भी नहीं दिया जाता है। यदि टिकट दिया भी जाता है, तो यह राजनैतिक निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ही ले पाते हैं। वह गाँव का वार्डपंच या सरपंच से लेकर भारत का राष्ट्रपति पद पर आसीन क्यों न हो। यह सभी स्थितियाँ निर्णय लेने में उच्च-वर्गों की कठपुतली ही बन जाती है। तथा आखिरकर गुलाम बनकर राजनैतिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है।



सैवैधानिक तौर पर इनका राजनैतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, लेकिन आज भी राजस्थान के जयपुर सहित विभिन्न जिलों में राजनैतिक जागरूकता के अभाव के कारण प्रतिनिधित्व में अभाव पाया जाता है। तथा कुछ उच्च-वर्गों की मानसिकता खराब होने के कारण इस समुदाय को राजनैतिक प्रतिनिधित्व का लाभ पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं हो पाता है। इसमें महिलाओं की स्थिति और भी बड़ी दयनीय है, तथा अधिकांश महिलाएं विशेष रूप से गाँवों में राजनैतिक निर्णय लेने में असमर्थ हैं। अनुसूचित जाति की सम्पूर्ण महिलाएं राजनैतिक क्षेत्र में निर्णय लेने में भी असमर्थ हैं। यह महिलाएं निर्णय पति, ससूर या अन्य समाज के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा लिए हुए निर्णय पर आधारित हैं।

अतः जिस समाज का सर्वसमाज में राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। वह समाज भला स्वयं, तथा अन्य समाज और जिला, गाँव, राज्य एवं देश के विकास में भागीदारी कैसे दे सकता है। नगर की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की अपेक्षा अधिक जागरूकता पायी जाती है। आज नगर की महिलाएं नगर परिषद् सदस्य से लेकर महापौर तक बनी हुई हैं। गंगादेवी एम.एल.ए. तथा अंजु बेनीवाल जिला परिषद् की सदस्य, तथा शाहपुरा तहसील के ग्राम बिशनगढ़ में ममता वर्मा सरपंच बनकर महिला सशक्तिकरण को सार्थक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

राजनैतिक सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएँ :-

अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता कमी पायी जाती है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण निरक्षरता, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तथा गरीबी, अन्धविश्वास, पाखण्डवाद एवं धन अभाव एवं समाज में दुर्व्यसनता के चलते एकता का अभाव आदि कारणों से राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती है।

राजनीति के निम्न पायदान ग्रामस्तर से लेकर उच्च राजनीतिक पदों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने में रुचि नहीं है। इस समुदाय में पुरुष वर्ग में राजनैतिक



जागरूकता अधिक पायी जाती है। महिलाएँ भी पुरुषों के द्वारा बताए गये नीति-निर्णय के आधार पर राजनैतिक गतिविधियों में भाग ले रही है। लेकिन संवैधानिक अधिकारों के कारण आज महिलाओं में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

इस समुदाय की महिलाओं में राजनैतिक गतिविधियों को संचालित करने का अनुभव का अभाव पाया जाता है। राजनैतिक क्षेत्र में बिना अनुभव के प्रत्याशी विजय नहीं बन सकता है। यदि विजेता बन जाता है, तो वह अपने राजनैतिक क्षेत्र में अच्छा विकास नहीं कर पाता है। यह स्थिति अनुसूचित जाति समुदाय में अधिक देखी गई है। अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ पति या ससुर के निर्णयों की पालना करती है तथा राजनैतिक पद पर खड़े होना से लेकर राजनैतिक पद पर विजेता बनने तक सभी निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिया जाता है। नगर की महिलाओं में राजनैतिक गतिविधियों का अनुभव पाया जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनैतिक गतिविधियों से सम्बन्धित अनुभवों का अभाव पाया जाता है।

शैक्षणिक सशक्तिरण की पृष्ठभूमि :-

शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पियेगा वह उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए प्रत्येक समाज के सामाजिक विकास में शिक्षा सम्पदा की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अतः सर्व समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

प्रारम्भिक काल के वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से पता चला है, कि वैदिक काल में लड़कियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। अर्थात् विद्या प्राप्ति हेतु विद्यालय में भेजा जाता था। इस युग में गुरुकुल आश्रमों में नारी को शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन समयान्तराल के अनुसार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन आ चुका था। इस प्रकार महिलाओं को वैदिक-युग में शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। दूसरी तरफ मध्य-काल में शिक्षा के अधिकार में गिरावट आयी थी। धीरे-धीरे महाभारत, रामायण काल में शिक्षा का स्तर एकदम खराब पाया जाता था।



आज वर्तमान में शैक्षणिक स्थिति मजबूत है। लेकिन अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। शहरों में स्थिति सही पायी जाती है, तो गाँवों में शिक्षा का स्तर कम ही पाया जाता है। लड़कियों को पराया धन समझकर उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। सोलह संस्कार में विवाह संस्कार को अतिमहत्वपूर्ण माने जाने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी।

विवाह के कारण महिला की शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है। परम्परा से महिला शिक्षा को फिजूल खर्चा समझा जाता था। महिलाओं को शिक्षा विवाह के पूर्व ही दिया जाता था। विवाह के पश्चात पिता के घर से शिक्षा नहीं दी जाती है।

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षणिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन एवं मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्यों में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, कि अभी तक अनुसूचित जाति की महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महिला सशक्तिकरण की योजनाओं तथा कार्यक्रमों एवं शिविर के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि सशक्तिकरण नहीं हो पाया है।

आज भी अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, इस समुदाय की महिलाएँ पति या परिवार के पुरुष के निर्णय पर ही नीतियों एवं कार्यों को प्रारम्भ या सम्पन्न करती हैं।



सम्पूर्ण शोध-क्षेत्र में साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, निर्देशन विधि तथा प्रतिचयन विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रश्नावली विधि तथा अवलोकन विधि आदि विधियों के द्वारा सर्वे कार्य करने पर अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ वर्तमान एवं प्राचीन समय में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर कितनी ? सशक्त हुई है या नहीं का तुलनात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष इस प्रकार है :-

1. अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएँ सामाजिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं।
2. शोधकार्य के दौरान यह पता चला है, कि अनुसूचित जाति समुदाय की अधिकांश उत्तरदाता महिलाएँ प्राथमिक कार्य में संलग्न हैं। जो कि अपने परिवार का पालन-पोषण करती है।

शोध-अध्ययन के दौरान **व्यवसायिक सारणी** तैयार की गई थी जिसमें अधिकांश महिलाएँ प्राथमिक कार्य जैसे-मवेशी चराना,(बकरी, भैंस पालन कार्य), चटाई निर्माण, पंखी-निर्माण, सूत-कताई कार्य, चर्म रंगने का कार्य, शहद एवं गोंद एकत्रित, शिकार करने का कार्य करती हैं।

उपर्युक्त सभी कार्य जयपुर जिले में बावरिया जाति, मोंग्या समाज कार्य करती है। इसी प्रकार सांसी समाज की महिलाएँ चप्पल, जूतियाँ, सिलाई का कार्य करती हैं। **गवारिया** समाजकी महिलाएँ महिलाओं के सज्जा-सामान की वस्तुओं को घर-घर बेचकर अपना जीवन यापन करती हैं।

3. प्रस्तुत शोध में सर्वाधिक उत्तरदाता 25-45 वर्ष की आयु के हैं। अधिकांश उत्तरदाता महिलाएँ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके घरेलू कार्य में संलग्न हैं। शोध-सर्वे के दौरान यह पाया गया है, कि 450 महिलाएँ स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं 700 महिलाएँ शिक्षा-



स्नातक है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त जैसे- नेट, स्लोट एवं पी.एच.डी धारक महिलाए नहीं प्राप्त हुई है।

जहाँ बुनकर, मेघवाल, रैगर, जाटव, कोली, बैरवा समाज मे महिला शिक्षा स्तर बढ़ा है, जिससे महिला पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर है, तो वही दूसरी और जयपुर जिले की शाहपुरा, आमेर, चौमूँ, सांभर एवं फागी, जमवारामगढ़ तहसीलों के गाँवों मे निवास करने वाली अति पिछड़ी अनुसूचित जाति समुदाय में बावरिया, वात्मीकि, मदारी, नट, सांसी तथा गवारिया, भंगी, मेहत्तर, बाजीगर, सपेरा, कालबेलिया समाज विशेष की महिलाओं में शिक्षा का स्तर शून्य है। सभी महिलाए प्राथमिक कार्य करती है याभीख मांगकर जीवन यापन करती है।

4. सभी उत्तरदाता संयुक्त एवं एकल परिवार में रहती है। दो-तिहाई महिलाओं की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है। अतः इन उत्तरदाताओं के शोध से निष्कर्ष निकलता है, कि पक्के मकान बनाने तथा पक्के मकान खरीदने में असमर्थ है। अतः कच्चे मकान में ही रहती है।
5. शर्मा, सुमित्रा, 2011, अनुसूचित जाति की महिलाओं में सशक्तिकरण :- एक समाज-शास्त्रीय अध्ययन, सॉशियल साईंस एक्सप्लोर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अध्याय - 02, पृ. सं. - 112
6. लाटा, मंजु, 2012, अनुसूचित जाति मे महिला उत्पीडन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली पृ. सं. - 30
7. सिंह, रामगोपाल, 1994, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
8. भारद्वाज, ए.एन, 1987, अस्पृश्यता एवं मानवता किताब घर दिल्ली
9. ओमवेट, गेल, 2009, दलित और प्रजातान्त्रिक क्रांति उपानिवेशीय भारत मे डॉ. अम्बेडकर



एवं दलित आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृ. सं. 1-10

10. मेहता, चेतना, 1997, महिला और कानून, हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर पृ. सं.

16-18

11. मिश्रा, श्वेता, 1997, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता, कुरुक्षेत्र ग्रामीण

विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. सं. - 40

12. मित्तल, एम.एन., 1997, महिलाएँ सबल कैसे हो, समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली

13. संगोल, वैशाली, 2003 महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जनसंख्या स्थिरिकरण, रोजगार

समाचार, नई दिल्ली, पृ. सं. - 5

14. पाण्डेय, अनुराधा, 2010 'महिला सशक्तिकरण, ईशिका प्रकाशन हाउस, जयपुर

15. निमिता, सोंदर्वा, राम, 2013 "21 वी. सदी में महिलाओं का बदलता स्वरूप" पेराडाइज

पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. -3-8

16. सिंह सुनील कुमार 2010 जाति व्यवस्था निरन्तरता एवं परिवर्तन रावत पब्लिकेशन

दिल्ली पृसं -04

17. सी.ए.कले.सन 1909 ई. सोशियल ऑर्गेनाइजेशन चार्ल्स स्कार्हनर्स सन्स यू.एस.ए.

न्युयार्क. सिटी पृ.सं-1

18. मजूम दार डी .एम.मदान.ही.एन.1989. टू सोशियल एन्ड्रोपोलाजी नेशनल बुक हाउस नाई दिल्ली

19. एस.की.केतकर.1909 हिस्टी ऑफ इन इण्डिया ऑक्सफॉर्ड युनिसिटी प्रेस बम्बई पृ. सं-50



20. हटून जे.एच.1961.ई। कास्ट इन इण्डिया ऑक्सफॉर्ड विश्वविद्यालय प्रेस बम्बई पृ.स. 50
21. रिजले एच.एच. 1915 द पीपुल ऑफ इण्डिया थेकर स्पिंक कम्पनी लन्दन पृ.सं-50
22. जी.एच.घुरिये1961 ई. कॉस्ट क्लास एण्ड ऑक्युपेशन पापुलर प्रकाशन बम्बई पृ. सं-26
23. जी.एस. घुरिये, 1961ई., क्लास एण्ड पापुलर प्रकाशन, पृ.सं-19
24. डी.एन. मजूमदार, 1958 ई, रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई, पृ.स.226
25. मुकर्जी रकीन्द्रनाथ और भारत अगवाल सन्2011ई निर्बल वर्गों का समाजशास्त्र एस. बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स आगरा पृ.सं-32-33
26. हरिकृष्ण रावत सन् 2014 समाजशास्त्रीय विश्वकोश रावत पाब्लिकेशन दिल्ली पृ.सं. 314.